न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
102 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	28.12.2020	26.08.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री प्रहलाद दास साहू पुत्र श्री राधेश्याम साहू निवासी छोटा तख्ता तेलियो की गली टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स अशोका नमकीन एण्ड स्वीट्स बस स्टैण्ड के बाहर टोंक जिला टोंक राज0

2– मैसर्स अशोका नमकीन एण्ड स्वीट्स बस स्टैण्ड के बाहर टोंक जिला टोंक

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–**निर्णय**–:

दिनांक 26.08.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.10.2020 को समय 3.45 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स अशोका नमकीन एण्ड स्वीट्स बस स्टैण्ड के बाहर टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। प्रोपराइटर की हैसियत से श्री प्रहलाद दास साहू पुत्र श्री राधेश्याम साहू निवासी छोटा तख्ता तेलियो की गली टोंक एफ.बी. ओ. मैसर्स अशोका नमकीन एण्ड स्वीट्स बस स्टैण्ड के बाहर टोंक जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान के गोदाम मे मावा (खोया) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री प्रहलाद दास साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता प्रहलाद दास साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर एवं दिनांक कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:47:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा दुकान के गोदाम मे फ्रीज मे लगभग 80–90 किलोग्राम मावा (खोया) रखे हुये मे से पूर्णतया होमोजिनियस कर एक ट्रे मे 1 किलोग्राम वेईंग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री प्रहलाद दास साहू को रू0 280/–अक्षरे दो सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा मावा (खोया) 1 किलोग्राम को बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एंव सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे बराबर–बराबर प्रत्येक डिब्बे मे 250–250 ग्राम भरकर प्रत्येक डिब्बे मे 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20–20 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला–मिलाकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से अच्छी तरह एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2645 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2645 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. प्रहलाद दास साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4051 दिनांक 23.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1547/एक्ट/2020/1567 दिनांक 03.11.2020 अनुसार प्रहलाद दास साहू से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया मावा (खोया) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 अनुसार अवमानक (Sub-Standard) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का मावा (खोया) का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका दण्ड खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित 49)में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:47:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय टोंक

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मावा (खोया)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard)स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मावा (खोया)** का नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री प्रहलाद दास साहू पुत्र श्री राधेश्याम साहू निवासी छोटा तख्ता तेलियो की गली टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स अशोका नमकीन एण्ड स्वीट्स बस स्टैण्ड के बाहर टोंक जिला टोंक राज0पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 26.08.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।
निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

26.8.21
(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:47:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner